महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामन गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

33वाँ स्थापना दिवस सामारोह पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं की नियमावली निम्नानुसार -

वेदन्त्याक्षरी स्पर्धा के नियम –

1) एक विद्यालय से एक वेद के अधिकाधिक दो (2) प्रतिभागी भाग ले सकते है।
2) अन्त्याक्षर मिलने के बाद प्रतिभागी के पास मन्त्रारम्भ करने के लिए अधिकाधिक 20 सेकंड होंगे।
3) उच्चारण तथा स्वर का विशेष ध्यान प्रत्येक प्रतिभागी को रखना होगा। अधिक त्रुटियाँ होने पर प्रतिभागी स्वत: अयोग्य सिद्ध होगा।
4) गायत्री छन्द से न्यून अक्षरों वाले मन्त्रो का प्रयोग स्पर्धा मे अमान्य है।
5) जिन मन्त्रों में अन्त्य पद पुन: पुन: समान आता है उन मन्त्रो का प्रयोग स्पर्धा मे अमान्य है। इस विषय में तत्काल निर्णय मान्य होगा।
6) अंतिम निर्णय निर्णायकमंडल का होगा।
7) निर्णायक से किसी प्रकार का वाद-विवाद करने पर प्रतिभागी अयोग्य सिद्ध होगा।

- प्रतियोगिता के समय परिस्थितिवश निर्णायकों द्वारा नियमों मे परिवर्तन किया जा सकता हैं।
- अन्त्याक्षरी आरंभ होने के 30 मिनट बाद निर्णायकों द्वारा विशेष नियम लागू किये जा सकते हैं ।
  जैसे – 'राजन्तमध्वराणां ..... स्वे दमे' इस मन्त्र का अन्त्याक्षर 'दमे' हैं, अत: 'मे' से ही मन्त्र बोलना होगा, इत्यादि ।

वेद शलाका स्पर्धा के नियम –

1) प्रतिभागी को प्रश्नारम्भ से 10 मन्त्र तक निर्णायकों के निर्णयानुसार बोलने होगे। उन मन्त्रों मे कही भी पुनरावृत्ती करने पर उसे त्रुटी के रूप मे माना जायेगा।
2) प्रति शाखा अनुसार समयानुसार उच्चारणीय मन्त्रों की संख्या को कम भी किया जा सकता है।
3) उच्चारण तथा स्वर का विशेष ध्यान प्रत्येक प्रतिभागी को रखना होगा। अधिक त्रुटियाँ होने पर प्रतिभागी स्वत: अयोग्य सिद्ध होगा।
4) अंतिम निर्णय निर्णायकमंडल का होगा।
5) निर्णायक से किसी प्रकार का वाद-विवाद करने पर प्रतिभागी अयोग्य सिद्ध होगा।

- वेदशलाका स्पर्धा मे वेद के अनुसार निर्धारित अध्याय / काण्ड
  - ऋग्वेद – प्रथमाष्टक संपूर्ण एवं द्वितीयाष्टक 1 से 4 अध्याय
  - शुक्लयजुर्वेद – 1 से 25 अध्याय
  - कृष्णयजुर्वेद - प्रथम काण्ड सम्पूर्ण (1 से 7 प्रश्न तक)
  - सामवेद – पुर्वार्चिक ऋक्, प्रकृति ऐन्द्र पर्व पर्यन्तम् (813)
  - अथर्ववेद - 1 से 5 काण्ड पर्यन्त

प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के नियम –

1) प्रतिभागी को अधिकाधिक 20 सेकंड में उत्तर देना अनिवार्य होगा।
2) उत्तर न देने पर प्रश्न को अग्रसर किया जायेगा तथा अंक उत्तर देने वाले समूह को दिए जायेंगे।
3) साक्षात् प्रश्न का सही उत्तर देने पर 10 अंक तथा अग्रसरित प्रश्न का सही उत्तर देने पर 5 अंक प्राप्त होंगे।
4) पहले 15 चरणों तक सभी को समान अवसर दिये जायेंगे, तत्पश्चात् 15 चरणों के बाद गलत उत्तर देने पर तथा निरुत्तर होने पर 2 अवसर दिये जायेंगे। अंतिम 8 प्रतिस्पर्धी (समूह) शेष रहने पर यह सुविधा भी समाप्त हो जायेगी (चाहे किसी ने एक भी अवसर न लिया हो)

टिप्पणी - निर्णायक इन नियमों में परस्पर सहमति से परिवर्तन कर सकते है

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन